State Council of Educational
Research & Training, Chhattisgarh
Shankar Nagar, Raipur (C.G.)

राज्य शैक्षिक अनुसंधान
एवं प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़,
शंकर नगर, रायपुर

Telephone-0771-2443596 Fax-0771-2443496 Website: www.scert.cg.gov.in Email: scertcg@gmail.com

क्रमांक / शिक्षक–शिक्षा / 30–2 डी.एड. / दूरस्थ शिक्षा / 2015–16 / 7782 रायपुर दिनांक 23.12.15
प्रति,

समस्त प्राचार्य,
डाइट / बी.टी.आई.

....

विषयः– दूरस्थ शिक्षा से सेवारत अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों के डी.एड. प्रशिक्षण अंतर्गत 75% से कम उपस्थिति के कारण परीक्षा से वंचित प्रशिक्षार्थियों की अतिरिक्त कक्षाएँ लगाए जाने संबंधी।

——00——

उपरोक्त विषयांतर्गत "निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009" के निर्देशानुसार कक्षा 1 से 8 तक अध्यापन करने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों हेतु डी.एड. प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य में 149 अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से राज्य में दो बैचों में संचालित किया गया। प्रशिक्षण में 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति के कारण परीक्षा से वंचित प्रशिक्षार्थियों हेतु डाइट / बी.टी.आई.में अतिरिक्त कक्षाएँ लगाई जानी है। इस हेतु निर्देश निम्नानुसार हैं –

1. सभी डाइट / बीटीआई में उस जिले के सभी अध्ययन केन्द्रों के ऐसे प्रशिक्षार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाएंगी। कुल 32 अतिरिक्त कक्षाएं जनवरी 2016 से मई 2016 के बीच लगाई जाएगी जिसका दिवसवार कार्यक्रम निम्नानुसार है–

द्वितीय वर्ष हेतु अतिरिक्त सम्पर्क कक्षाएं सत्र 2015–16
(75 प्रतिशत से कम उपस्थिति के कारण परीक्षा से वंचित प्रशिक्षार्थियों हेतु)

स. क्र.	माह का नाम	दिनांक	दिन	स्थान	कुल दिवस
	जनवरी 2016	10.01.2016	रविवार	18 अध्ययन केन्द्रों में	01
		17.01.2016	रविवार	18 अध्ययन केन्द्रों में	01
		24.01.2016	रविवार	18 अध्ययन केन्द्रों में	01
		31.01.2016	रविवार	18 अध्ययन केन्द्रों में	01
2	फरवरी 2016	07.02.2016	रविवार	18 अध्ययन केन्द्रों में	01
		14.02.2016	रविवार	18 अध्ययन केन्द्रों में	01
		21.02.2016	रविवार	18 अध्ययन केन्द्रों में	01
4	अप्रैल 2016	03.04.2016	रविवार	18 अध्ययन केन्द्रों में	01
		10.04.2016	रविवार	18 अध्ययन केन्द्रों में	01
		17.04.2016	रविवार	18 अध्ययन केन्द्रों में	01
		24.04.2016	रविवार	18 अध्ययन केन्द्रों में	01
5	मई 2016	05.05.16 से 15.05.16 तक	ग्रीष्मकालीन अवकाश	18 अध्ययन केन्द्रों में	11
		20.05.16 से 29.05.16 तक	ग्रीष्मकालीन अवकाश	18 अध्ययन केन्द्रों में	10
कुल दिवस					32

2. इन 32 दिवसीय संपर्क कक्षाओं में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के नियमानुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवश्यक होगी। पूर्व सत्र की उपस्थिति गणना

में नहीं ली जाएगी। अतिरिक्त कक्षाओं में भी उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होने पर परीक्षा से वंचित रहने की जिम्मेदारी स्वयं प्रशिक्षार्थी की होगी क्योंकि भविष्य में ऐसा अवसर उपलब्ध नहीं कराया जावेगा।

3. अतिरिक्त कक्षाएं उन प्रशिक्षार्थियों के लिए होगी जो पूर्व में प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर चुके हैं अथवा प्रथम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होकर कुछ विषयों में अनुत्तीर्ण हैं। प्रथम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होकर अनुत्तीर्ण रहे विद्यार्थी इन अतिरिक्त कक्षाओं में सम्मिलित होकर आगामी परीक्षा (संभावित माह जून 2016) में द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे, साथ ही प्रथम वर्ष के अनुत्तीर्ण विषयों में भी सम्मिलित होंगे।
4. आगामी परीक्षा (संभावित माह जून 2016) ऐसे प्रशिक्षार्थियों के लिए अंतिम अवसर होगी। अतः प्रशिक्षार्थियों से अपेक्षा है कि वे कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहें एवं गंभीरता पूर्वक अध्ययन करते हुए पाठ्यक्रम को पूरा करें। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क प्रशिक्षार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जावेगा।
5. ऐसे प्रशिक्षार्थी जो अभी तक किसी भी वर्ष में प्रथम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं वे इन अतिरिक्त कक्षाओं में उपस्थिति हेतु पात्र नहीं होंगे।
6. निर्वाचन एवं अन्य कार्यों में संलग्न होने की स्थिति में कक्षाओं में उपस्थित नहीं हो सकने पर एस.सी.ई.आर.टी. / संबंधित डाइट,बी.टी.आई / अध्ययन केन्द्रों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
7. अतिरिक्त कक्षाओं के लिए दूरस्थ शिक्षा हेतु पूर्व निर्धारित दर अनुसार 32 दिवसों में केवल वास्तविक उपस्थिति के दिवसों हेतु मानदेय की पात्रता होगी,इस हेतु किसी तरह के अतिरिक्त मानदेय की पात्रता नहीं होगी। प्रत्येक डाइट / बी.टी.आई.में दूरस्थ शिक्षा प्रशिक्षण में कार्य कर रहे स्रोत व्यक्तियों में से ही प्रति विषय एक विषय विशेषज्ञ का चयन संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा किया जावेगा। स्त्रोत व्यक्तियों के अतिरिक्त प्रत्येक केन्द्र में एक केन्द्र प्रभारी (पदेन प्राचार्य) एक केन्द्र समन्वयक, एक सहायक समन्वयक, एक एकाउन्टेंट कम लिपिक, एक डाटा एन्ट्री आपरेटर एवं एक भृत्य इन दिवसों हेतु होंगे। इनके व 7 स्त्रोत व्यक्तियों हेतु ही प्रत्येक केन्द्र को मानदेय की पात्रता होगी। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम हेतु उपरोक्तानुसार अमले की सूची एस.सी.ई.आर.टी. को अनुमोदन हेतु भेजा जाए।
8. इस पत्र की प्रतिलिपि संबंधित विभागों को सूचनार्थ दी जा रही है। कक्षाओं में प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के संबंध में उनके विभागों / कार्यालयों से एस.सी.ई.आर.टी. / डाइट / बी.टी.आई. द्वारा कोई पहल नहीं की जाएगी। डाइट / बी.टी.आई. अपने जिले के संबंधित जिला स्तरीय व विकासखंड स्तरीय अधिकारियों को संपर्क कार्यक्रम से अवगत कराएंगे।
9. जिले के अध्ययन केन्द्रों से प्राप्त सूची अनुसार ऐसे अनुपस्थित प्रशिक्षार्थियों की संख्या पत्र के साथ संलग्न है। डाइट / बी.टी.आई.अपने अधीनस्थ केन्द्रों से संपर्क कर ऐसे प्रशिक्षार्थियों की वास्तविक संख्या व उनके नाम प्राप्त करेंगे।

डाइट / बी.टी.आई. द्वारा उपरोक्त निर्देशों से प्रशिक्षार्थियों को अवगत कराया जाए एवं उपस्थिति की सतत् मानिटरिंग की जावे।

संलग्न :— अनुपस्थित प्रशिक्षार्थियों की केन्द्रवार अनुमानित सूची।

(संजय कुमार ओझा)
संचालक

पृ.क्र. / शिक्षक–शिक्षा / 30–2डी.एड. / दूरस्थ शिक्षा / 2015–16 / 7783 रायपुर दिनांक 23-12-15

प्रतिलिपि –

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
3. संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रायपुर।
4. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, पेंशनबाड़ा, रायपुर।
6. सर्व जिला शिक्षा अधिकारी ....
7. सर्व सहायक आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग..............................
8. सर्व प्राचार्य / अध्ययन केन्द्र प्रभारी,दूरस्थ शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र..

संचालक